बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

(बुधवार, तिथि २२ अगस्त, १९७३)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : १८७, १८९ एवं २४६ ...	१—११
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : ८८७, १६६३, १९८३, २६०६, २६०७, २६११, २६३०, २६३२, २६३५, २६३६, २६३९, २६४३, २६८५, २६८६, २६८७, २६८९, २६९१, २६९३, २६९५, २६९६, २६९७, २६९८, २७४३, २७४४, २७४७, से २७४९, २७६१, २७६४, २७६५, २७६६, २७७४, २७८१, २७८३, २७९०, २७९१, २७९२ एवं २७९३। ...	११—५८
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	५९—१४१
दैनिक-निबन्ध :	१४३—१४५

टिप्पणी :—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपने भाषण को संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (•) चिह्न लगा दिया गया है !

श्री अब्दुल गफूर—(१) डॉ० जे० एन० सिंह, दिनांक ७-९-६८ से अप्रील, १९७३ तक जिला चिकित्सा स्वास्थ्य पदाधिकारी गया के पद पर पदस्थापित रहे और उसके बाद से सिविल सर्जन के पद पर गया में पदस्थापित हैं। इस तरह गया में इन्हें लगभग ५ वर्ष हुआ है।

(२) प्रशासन की दृष्टि से एक पद पर किन्ही के तीन वर्ष हो जाने पर उनके स्थानान्तरण का कार्यपालिका अनुदेश है, ऐसा कोई नियम नहीं है। डॉ० सिंह जिला स्वा० चिकित्सा पदाधिकारी के पद से सिविल सर्जन के पद पर पदस्थापन के कारण गया में ही लगभग पाँच वर्षों से हैं।

(३) पिछले तीन महीनों में सिविल सर्जन गया के द्वारा ७७ तीसरे एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है। स्थानान्तरण अनियमित रूप से किया गया है, ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है। सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक निर्णय जनवरी, १९७३ में लिया था जो स्वास्थ्य विभागीय परिपत्र संख्या २१३(३), दिनांक २९-१-७३ से प्रसारित किया गया जिसकी एक प्रति सदन के मेज पर रखी जा रही है। उस परिपत्र के आधार पर प्राप्त आवेदनों एवं अभिवेदनों के फलस्वरूप ये स्थानान्तरण किये गये।

(४) किसी भी जिला में स्वास्थ्य सेवा संसर्ग के चार प्रतिशत प्रवर कोटि के चिकित्सकों में जो सबसे वरीय हों उन्हें ही वहाँ सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। सिविल सर्जन के पद पर ४ प्रतिशत प्रवर कोटि के पदाधिकारी साधारणतया पदस्थापित किये जाते हैं। इस पद की प्रधानता के कारण उक्त कोटि के वरीय चिकित्सकों की पदस्थापना इस पद पर की जाने की परिपाटी है।

श्रीमती डॉ० शीला वाजपेयी के इस अभिवेदन के कारण इन्हें लेडी एलगिन जनाना अस्पताल गया के अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया कि ये क्लिनिकल पद पर कार्य करना चाहती थी और गया में पदस्थापन के लिये इनका निजी अनुरोध था।

(५) डॉ० सिंह सिविल सर्जन, गया के पद पर चन्द महीनों से ही पदस्थापित हैं, अतः अभी उनके स्थानान्तपण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वरीयता सूची में संशोधन

२७६७। श्री रामस्वरूप प्रसाद—क्या मन्त्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि लोक-निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या—२७९२, दिनांक २२-२-७३ एवं ९९२८, दिनांक २४-५-७३ में अधिदर्शकों की वरीयता सूची प्रकाशित की गयी है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त वरीयता सूची में नियुक्ति की तिथि को ही मान्यता दी गयी है ;

(३) क्या यह बात सही है कि नियुक्ति विभाग की ज्ञाप संख्या–१०२१/५८ १३४८४-ए, एवं पत्र संख्या–१०१/६६,१०७ के निशार्देनुशार श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, अधिदर्शक एन० एच० सर्किल, बिहारशरीफ, श्री भगवान प्रसाद सिन्हा, मुख्यालय निरुपन अंचल, पटना, श्री रामलगन प्रसाद शाही, अग्रिम योजना, मिट्टी जाँच विभाग, मुजफ्फरपुर, श्री देवनन्दन पाठक, एन० एच० नं० २, भभुआ आदि २० अधिदर्शकों के प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ के कारण उनकी वरीयता के मान्यता में उनकी नियुक्ति की तिथि को नहीं मानी गयी है ;

(४) क्या यह बात सही है कि उक्त अधिदर्शकों से समय पर प्रतिकूल अभ्युक्ति के विरुद्ध अपना रिप्रेजेन्टेशन दिया उस पर विना विचार किये ही उपर्युक्त वरीयता की सूची प्रकाशित की गयी ;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी छान-वीन कर नियुक्ति विभाग के उक्त पत्र के निर्देशानुसार वरीयता सूची में आवश्यक संशोधन का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मन्त्री, लोक-निर्माण विभाग—(१) इस विभाग के स्थायी अधिदर्शकों की वरीयता सूची मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या–९९२८, दिनांक १४-५-७३ द्वारा निर्गत की गयी है न कि उनके अधिसूचना संख्या–२७९२, दिनांक २२-२-७३ द्वारा।

२) अधिदर्शक के सम्वर्ग में एक साथ सम्पुष्ट किये गये अधिदर्शकों की पारस्परिक वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित की गयी है।

(३) नियुक्ति विभाग के उल्लिखित पत्र तथा ज्ञाप संख्या के निर्गत करने की तिथि को जाने बिना यह कहना सम्भव नहीं है कि यह किस विषय से संबंधित है। अधिदर्शकों की सम्पुष्टि उनकी चरित्र-पुस्ति में अंकित अभ्युक्तियों के आधार पर की जाती है। चरित्र पुस्तियों में प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ होने पर उनकी सम्पुष्टि नहीं की जाती है। लेकिन एक ही साथ सम्पुष्ट किये गये अधिदर्शकों की पारस्परिक वरीयता उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाती है।

इस प्रश्न में उल्लिखित चार अधिदर्शकों में से श्री देवनन्दन पाठक की सम्पुष्टि अब १९६३ को आदेय हुये तब की गयी। श्री कृष्ण कुमार सिंह की सम्पुष्टि १९६३ में आदेय थी लेकिन इनकी चरित्रपुस्तियाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण १९६३ में इन्हें सम्पुष्ट नहीं किया गया और इनके लिये पद सुरक्षित रखा गया। अब इनकी चरित्र-पुस्तियाँ उपलब्ध हो गयी हैं और अब इनके १९६३ से सम्पुष्टि करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। सर्वश्री रामलखन प्रसाद शाही तथा श्री भगवान प्रसाद सिन्हा १-५-७० से सम्पुष्ट किये गये। इसके पहले इनकी सम्पुष्टि इसलिये नहीं की जा सकी क्योंकि इनका सेवा अभिलेख संतोषजनक नहीं थी।

(४) उत्तर स्वीकारात्मक है। लेकिन श्री भगवान प्रसाद सिंह की प्रतिकूल अभ्युक्तियों के विलोपन के लिये अभिवेदन निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुआ है। इनके अभिवेदन पर स्थानीय पदाधिकारियों से प्रतिवेदन मांगा गया है जो अभी अपेक्षित है।

(५) उपर्युक्त खंडों के उत्तर देखते हुये यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

उच्च पथ निर्माण में विलम्ब

२७७०। श्री लाल बिहारी प्रसाद—क्या मन्त्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि भोजपुर रोहतास जिलान्तर्गत आरा-मोहनिया राष्ट्रीय उच्चपथ निर्माण का प्रथम चरण सन् १९७३ ई० तक पूरा करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निश्चित किया गया था;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क का निर्माण प्रायः ठप हो गया है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो कार्य बन्द रखने का क्या औचित्य है तथा निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायगा?

प्रभारी मन्त्री, लोक-निर्माण विभाग—(१) आरा मोहनिया राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के लिये सरकार द्वारा प्रथम चरण १९७३ ई० तक पूरा करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। बल्कि भारत सरकार द्वारा ७५-७६ तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य है।

(२) उत्तर नकारात्मक है। वर्त्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

इस सड़क की कुल लम्बाई ७२ मील में १ से २४, मील २८, मील ३८ से ४०, मील ४४ से ५६ तथा मील ६५ से ६९ में मिट्टी का कार्य चल रहा है।